समक्ष माननीय म. प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर

प्र.क्र. /2015 निगरानी

निगरानी 865-I-15

श्रीमती साधना सिंह पुत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर आयु-33 वर्ष लगभग, व्यवसाय - गृहकार्य निवासी- ग्राम- कौड़ा, तहसील - राजनगर जिला- छतरपुर (म.प्र.)

..........आवेदिका

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर (म.प्र.)

..........अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र द्विवेदी
द्वारा आज दि. 22-5-15 को
प्रस्तुत
22-5-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र. 88/ अ-19(4)/ स्वमेव निगरानी /05-06 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2015 के विरुद्ध धारा 50 म.प्र. भू -राजस्व संहिता के अंतर्गत निगरानी |

श्रीमान,

आवेदिका की ओर से निगरानी आवेदन इस प्रकार प्रस्तुत है –

1. यह कि, आवेदिका ग्राम- कौड़ा, तहसील राजनगर जिला छतरपुर की मूल व स्थायीनिवासी है,उसका विवाह श्री हरेंद्रप्रताप सिंह से हुआ है जो मूलतः ग्राम करकोंसा के निवासी हैं परन्तु विवाह पश्चात् आवेदिका अपने पति के साथ ग्राम कौड़ा में ही निवास कर रही है क्योंकि आवेदिका के पास प्रश्नाधीन भूमि के अतिरिक्त जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है, इस प्रकार आवेदिका अपने पैतृक ग्राम कौड़ा में अपने जन्म से ही निवास कर रही है | आवेदिका ने वर्ष 2001 में 'म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उप-बन्ध) अधिनियम 1984'(संक्षिप्त में 1984 अधिनियम) के अंतर्गत तहसीलदार महोदय के समक्ष इस आशय का विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम कौड़ा स्थित शासकीय भूमि खसरा क्र. 6 रकबा 1.979 हेक्टेयर पर निरंतर बीस वर्षों से उसका परिवार सहित कब्ज़ा फसल बो कर चला आ रहा है तथा उसके परिवार में किसी भी अन्य सदस्य के नाम अन्य भूमि नहीं है अतः आवेदिका को उक्त भूमि का भूमिस्वामित्व प्रदान किया जाए |

D.K. Dwivedi Adv.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 865 I/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.4.16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव एवं मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2—मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 88 /अ—19(4)/स्व.निग./2005—06 मे पारित आदेश दिनांक 27/03/2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम कोड़ा की भूमि सर्वे नं0 63 रकवा 1.979 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार राजनगर द्वारा प्र. क. 02/अ—19(4)/2000—01 आदेश दिनांक 10/07/2001 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15—20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363	

[कृ. प. उ.

R-865-I/15 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। 5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 2001 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूॅ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27/03/2015 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/07/2001 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	